

## नामांकन जोड़ने की क्रिया (फार्म डीए १)

### उपभोक्ता विवरण

दिनांक	दि    दि    म    म    व    व    व	ग्राहक आईडी	शास्त्रा क्रमांक	(केवल कार्यालय उपयोग के लिए)
ग्राहक का नाम	उ पा धि      प्र थ म	म ध्य	उ प      बा म	
खाता क्रमांक				

### अनुदेश विवरण

बैंक जमा के सम्बन्ध में, बैंकिंग अधिनियम, १९४९ की धारा ४७ ZA और बैंकिंग कम्पनियों (नामांकन) नियमों, १९८७ के नियम २(१) के तहत नामांकन मैं/हम निम्नांकित को नामांकित करते हैं, जिनको मेरे/हमारे/नाबालिंग की मौत की स्थिति में, उपरोक्त खोले गए खाते/FD/RD की राशि एवं स्मॉल फैंस बैंक लिमिटेड द्वारा वापस की जा सकती है।

नामांकित लागू होगा       बचत खाता       चालू खाता       सावधि जमा       आवर्ती जमा

\*कर्मचारी या       \*कर्मचारी से संबंधित       कर्मचारी कोड       नहीं (यदि लागू हो)

*नाम	उ पा धि      प्र थ म	म ध्य	उ प      बा म
पता	<ul style="list-style-type: none"> <li>*पता पंक्ति १</li> <li>पता पंक्ति २</li> <li>*जिला</li> <li>*राज्य</li> <li>ईमेल आईडी (बड़े अक्षरों में)</li> <li>*मोबाइल नं +91</li> </ul>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>*पिन कोड</li> <li>*शहर</li> <li>*देश</li> </ul>		
	जमाकर्ता के साथ संबंध, यदि कोई हो		
	*जन्मतिथि दि    दि    म    म    व    व    व		
	*उम्र      पैन		
आधार नं			
^इस तिथि पर नामांकित व्यक्ति नाबालिंग है, जैसे नियुक्त करता हूँ....			
नाम	उ पा धि      प्र थ म	म ध्य	उ प      बा म
पता	<ul style="list-style-type: none"> <li>*पता पंक्ति १</li> <li>पता पंक्ति २</li> <li>*जिला</li> <li>*राज्य</li> <li>ईमेल आईडी (बड़े अक्षरों में)</li> <li>*मोबाइल नं +91</li> </ul>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>*पिन कोड</li> <li>*शहर</li> <li>*देश</li> </ul>		
	*नामांकित व्यक्ति के साथ संबंध		
...नामांकित व्यक्ति की ओर से खाते में जमा की राशि प्राप्त करने के लिए, नामांकित मेरे/नाबालिंग व्यक्ति की नाबालिंग के दौरान मृत्यु की स्थिति में -			
गवाह के व्यक्तिगत विवरण (अंगूठे की छाप दो गवाहों द्वारा सत्यापित की जाएगी)			

गवाह १ का नाम \_\_\_\_\_

गवाह २ का नाम \_\_\_\_\_

पता \_\_\_\_\_

पता \_\_\_\_\_

हस्ताक्षर \_\_\_\_\_

हस्ताक्षर \_\_\_\_\_

स्थान \_\_\_\_\_

स्थान \_\_\_\_\_

दिनांक \_\_\_\_\_

दिनांक \_\_\_\_\_

^इसे छोड़ दें अगर नामांकित व्यक्ति नाबालिंग नहीं है\* जहां एक नाबालिंग के नाम पर जमा किया जाता है, नामांकन पर हस्ताक्षर उस व्यक्ति द्वारा किए जाने चाहिए, जो नाबालिंग की ओर से कार्य करने के लिए कानूनी तौर पर हकदार हो।



प्रथम आवेदक



द्वितीय आवेदक



तृतीय आवेदक

एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ग्राहक अभियान क्रिया (बैंक उपयोग के लिए)

से प्राप्त किया

खाता क्रमांक

सेवा निर्देश सं

बैंक अधिकारी का नाम

दिनांक

बैंक अधिकारी के हस्ताक्षर